IS 15700-2018

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय वास्तुविद नियोजक
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-पंचम्
नीलगिरी कॉम्पलेक्स, द्वीतीय तल, इंदिरा नगर,
लखनऊ-226016

सेवोत्तम प्रमाणित

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700
मानक पथप्रदर्शक
Bureau of Indian Standards SQMS

पत्रांक- 901 /नि०प्र०-42/2023-24/वा०नि०-5/42(II) दिनांक- 30/04/24

सेवा में,

मैसर्स पैरेगी लैण्ड एण्ड हाउसिंग प्रा०लि०, (द्वारा मैसर्स शेमरा रियल एस्टेट प्रा० लि०)
प्रथम तल- रचना बिल्डिंग-2, राजेन्द्र पैलेस, पूसा रोड, नई दिल्ली।

विषयः- परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में स्थित बल्क सेल भूखण्ड संख्या- 4/बी.एस.-2/1 के उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुपालन में ऑनलाईन आवेदन संख्या-UPAVP/BP/22-23/1371 द्वारा मानचित्र समयवृद्धि बढाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि आपके आवेदन संख्या- *UPAVP/BP/*22-23/1371 के माध्यम से स्वीकृत मानचित्र, समयवृद्धि (रीवैलिडेशन) के अनुमोदन प्रक्रिया के क्रम में उक्त प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक दिनांक-19.03.2024 द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त निम्न शर्तो के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया किः-

"प्रश्नगत प्रकरण में मानचित्र समयवृद्धि 03 वर्षो की अवधि (दिनांक-11.01.2023 से दिनांक-10.01.2026 तक) हेतु मानचित्र ऑनलाइन निर्गत किये जाने की कार्यवाही इस शर्त के साथ सुनिश्चित की जाये कि विकासकर्ता द्वारा प्राप्त निर्माण समयवृद्धि वैधता दिनांक-24.06.2024 के सापेक्ष देय धनराशि का सम्पत्ति कार्यालय द्वारा पुनः परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि जून 2024 तक वांछित समयवृद्धि शुल्क सम्बन्धित द्वारा जमा कर दिया गया है। व भूमि के सापेक्ष अध्यावधिक भुगतान सुनिश्चित किये जाने की दशा में मानचित्र वैध होगा, अन्यथा की स्थिति में अधिशासी अभियन्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि सम्पत्ति कार्यालय गाजियाबाद से निर्माण समयवृद्धि प्राप्त किये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण स्थल पर न हो।"

तद्नुसार उच्च स्तरीय समिति के निर्णय के अनुपालन में स्वीकृत मानचित्र की वैधता अवधि को निम्न शर्तो के अधीन बढाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती हैः-

क- बल्कसेल भूखण्ड संख्या-4/बी.एस.-2/1 के प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत मानचित्र कार्यालय पत्रांक-717/नि०प्र।०-2019/वा०नि०-5 दिनांक- दिनांक-04.04.2019 के अनुसार वैधता अवधि पूर्व तिथि के अनुसार दिनांक-04.04.2017 से दिनांक-12.04.2022 तक व द्वीतीय चरण के अन्तर्गत स्वीकृति पत्रांक-2151/नि०प्रा०/2022/वा०नि०-5 दिनांक-25.08.2022 के अनुसार 09 माह के कोविड पीरियड सहित समयवृद्धि (दिनांक-11.01.2023 तक) निर्गत है। पूर्व स्वीकृत मानचित्र की वैधता अवधि दिनांक-11.01.2023 से 10.01.2026 तक (03 वर्षो हेतु) अनुमन्य है।

ख- बल्क सेल भूखण्ड संख्या-4/बी.एस.-2, सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियबाद का **सब-डिविजन ले-आउट** इस कार्यालय के पत्रांक-2148/बल्कसेल / वा०नि०-5 दिनांक-21.08.2015 द्वारा आवास आयुक्त महोदय के अनुमोदन उपरान्त शर्तो के अधीन निर्गत है। स्वीकृत पत्र संख्या-717/नि०प्रा०/ 2019/वा०नि०-5 दिनांक-04.04.2019 व पत्रांक-2151/नि०प्रा०/2022/वा०नि०-5 दिनांक-25.08.2022 के अनुसार शेष नियम व शर्ते पूर्ववत यथावत रहेंगी।

क्रमशः-2

ग- प्रश्नगत भूमि / भूखण्ड के सापेक्ष अध्यावधिक भुगतान सुनिश्चित किये जाने की दशा में मानचित्र वैध होगा। सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा अपने पत्रांक-1415 दिनांक-12.04.2024 के माध्यम से निर्माण हेतु समयवृद्धि शुल्क (भूखण्ड के प्रीमियम मूल्य का 1%+2%=3%) धनराशि जमा कराते हुये 02 वर्ष की समयवृद्धि दिनांक-24.06.2024 तक दी गई। अधिशासी अभियन्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि- मानचित्र समयावृद्धि (अवधि दिनांक 11-01-2023 से दिनांक 10-01-2026 तक) सम्पत्ति कार्यालय गाजियाबाद से नियमानुसार निर्माण समयवृद्धि प्राप्त किये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण स्थल पर न हो।

उपरोक्त शर्तो का अनुपालन न किये जाने की दशा में नियमानुसार मानचित्र निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

26-04-24.

(डा० बलकार सिंह)

आवास आयुक्त

पृ0सं0- /उक्त / दिनांकः

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी कॉम्पलेक्स, इंदिरा नगर, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता-गाजियाबाद वृत्त, गाजियाबाद / अधीक्षण अभियन्ता- विद्युत वृत्त।
3. वास्तुविद नियोजक, वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-5 लखनऊ, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-गाजियाबाद-02 गाजियाबाद, एवं उप आवास आयुक्त- सम्पत्ति मुख्यालय लखनऊ ।
4. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, सेक्टर-16ए, वसुन्धरा कॉम्पलेक्स, गाजियाबाद।

आवास आयुक्त